

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/114

रामलाल आयु 43 वर्ष आत्मज गणेश जाति मीणा निवासी ग्राम डडवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. रामपाल आत्मज भूरा जाति मीणा ।
2. बद्रीलाल आत्मज गणेश जाति मीणा ।
3. कंचन बेवा गणेश जाति मीणा निवासीगण ग्राम डडवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. रामस्वरूप आत्मज धन्ना जाति मीणा ।
5. राजेन्द्र कुमार आत्मज रामगोपाल जाति मीणा ।
6. हरिनारायण आत्मज रामगोपाल जाति मीणा ।
7. छोटूलाल आत्मज रामगोपाल जाति मीणा ।
8. केली बाई बेवा रामगोपाल जाति मीणा ।
9. रमेशी बाई पुत्री गोपाल पत्नी मोतीलाल जाति मीणा निवासी समदपुरिया तहसील के० पाटन जिला बून्दी ।
10. इन्द्राबाई पुत्री गोपाल पत्नी कैलाश जाति मीणा निवासी ग्राम अडीला तहसील के० पाटन जिला बून्दी ।
11. भूली बाई पुत्री गोपाल पत्नी राजेन्द्र जाति मीणा निवासी छावनिया तहसील एवं जिला बून्दी ।
12. भारतीय स्टेट बैंक शाखा लाखेरी जिला बून्दी ।
13. बैंक ऑफ बडौदा शाखा लाखेरी जिला बून्दी ।
14. आई०सी०आई०सी०आई० बैंक शाखा लाखेरी जिला बून्दी ।
15. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लाखेरी जिला बून्दी ।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

—रेस्पोजेन्ट

उपस्थित :- 1. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुरेश वर्मा, अभिभाषक, रेस्पोजेन्ट क्रम 1 की ओर से ।



निर्णय

दिनांक: 22.07.2022

1. अपीलान्त द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.03.2020 के विरुद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोंडेंट क्रम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम डडवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में कुल किता 11 की रकबा 7.20 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि वादी का 1/4 हिस्सा निहित है । पक्षकारान वादग्रस्त आराजी में संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति आ जाने से वे उक्त भूमि से वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन करवाए तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे ।
3. अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि पर जबरन ताकत के बल पर वादी को बेदखल नहीं करे और न ही उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत करें । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।
4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.03.2020 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर वादी को वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से का विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश पारित किया ।
5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.03.2020 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 02 अपीलान्त ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्त को सूचना दिये बिना एवं अपीलान्त को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11.03.2020 निरस्त फरमाया जावे ।
6. अपीलान्त ने न्यायालय हाजा में धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्त को बिना प्रोपर नोटिस तामील करवाये निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसकी अपीलान्त को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.06.2021 को तहसील के कर्मचारियों द्वारा विवादित आराजी पर आने एवं उनके द्वारा बताने पर हुई जिस पर अपीलान्त द्वारा



दिनांक 22.06.2021 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और दिनांक 24.06.2021 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की अपीलान्ट को कभी भी तामील नहीं हुई एवं अपीलान्ट को कभी कोई सम्मन नहीं मिला । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को प्रोपर नोटिस तामील करवाये बिना ही दिनांक 10.04.2019 को अपीलान्ट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उक्त निर्णय पारित किया है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11.03.2020 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2021 (1) पेज 140, डीएनजे 2021 (1) पेज 72, आरआरडी 1992 पेज 17 उद्धरत की ।
9. रेस्पोजेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है । प्रस्तुत प्रकरण में पुनः संशोधित डिक्री जारी किये जाने का कथन किया ।
10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 665/2021 एसएमडब्ल्यू (सी) नम्बर 03/2020 में पारित आदेश की रोशनी में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।
11. वादी रेस्पोजेन्ट क्रम 01 ने परीक्षण न्यायालय में विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया । प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस/सम्मन जारी किये गये । उक्त सम्मन अदम तामील संलग्न है । इस प्रकार अपीलान्ट को प्रोपर तामील करवाये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 10.04.2019 में अपीलान्ट की तामील होना मानते हुए अपीलान्ट के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का आदेश पारित किया था । जबकि सम्मन पर तामील रिपोर्ट में अदम तामील होना अंकित है । अतः तामील होना स्पष्ट नहीं है । इस प्रकार अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं मिला है । परीक्षण न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.03.2020 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिवादी क्रम 02 अपीलान्त को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।
13. निर्णय आज दिनांक 22.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(मनोज कुमार)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा